राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर

बिड प्रपत्र (निविदा संख्या 1 आईटम–7)

बिड विक्रय करने की अंतिम तिथि **06.03.2024** प्रातः **11.00** बजे तक
बिड जमा कराने की अंतिम तिथि **06.03.2024** मध्यान **01.00** बजे तक
बिड खोलने की अंतिम तिथि **06.03.2024** अपरान्ह **3.00** बजे
अनुमानित लागत :– 4.00लाख रूपये ।

<u>मंदिरान् में सुरक्षा गॉर्ड उपलब्ध करवाने हेतु निविदा वर्ष 2024–25</u>

निविदा प्रपत्र संवेदक के माध्यम से सेवाओ के उपापम हेतु–

1 .कार्य का नाम :– मंदिरान् में सूरक्षा गार्ड (बिना शस्त्र) के उपलब्ध करवाने हेतु
2. निविदा कमांक..3.8.5 दिनांक.....13.02.2024
3.. निविदा प्रपत्र शुल्क राशि 200/– रसीद/डीडी संख्या...........दिनांक.................डीडी सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर के नाम से बनवाना होगा।
4..धरोहर राशि 8000/– होगी जिसके लिये संवेदक को डीडी सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर के नाम से बनवाना होगा तथा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

A	कार्य का नाम :– सुरक्षा गॉर्ड (बिना शस्त्र)								
B	बोली दाता का नाम पता एवं मोबाइल नम्बरः–								
C	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्युनतम मजदुरी		सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रतिव्यक्ति दर	**EPF** दर प्रतिशत	**ESI** दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रति माह प्रति ईकाई रूप	कुल राशि
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	सुरक्षा गॉर्ड(बिना शस्त्र)	अकुशल 4	मासिक	दैनिक		नियमानुसार (नियोक्ता)	नियमानुसार (नियोक्ता)		
			6734/–	259/–					

1. उपर्युक्त तालिका में कालम संख्या 5,8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविश्टि करनी है।
2. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।

बोलीदाता के
हस्ताक्षर
मय मोहर

कार्यालय सहायक आयुक्त,देवस्थान विभाग, उदयपुर

–:: खुली बोली निविदा प्रपत्र :–

मंदिरान् में सूरक्षा गार्ड (बिना शस्त्र) के उपलब्ध करवाने हेतु निविदा की शर्तेः–

1. बोलीदाता/संवेदक का नाम.....
2. डाक का पता.....
   .....
3. फोन/मोबाईल नं0.....
4. ई–मेल.....
5. बैंक का नाम.....
   IFSC Code.....
   खाता संख्या.....
6. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ लगानी होगीः–

क्र.सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवाकर (ळैज)				
5	आय कर (पैन नम्बर),बैंक खाता पास बुक की प्रति,व आधार कार्ड की प्रति।				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानअधिनियम, 1958याइण्डियन पार्टनषिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

7. बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत 3 वित्तीय वर्ष में केन्द्र/राज्य के राजकीय विभाग/उपक्रम/स्वायत संस्थाए/परियोजनाएं/ बोर्ड/समिति/आयोग/षिक्षण संस्था/बैंकों में गॉर्ड एक ही समयावधि में कम से कम एक वर्ष तक निरन्तर सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाये जाने का अनुभव होना आवश्यक है, जिसका निम्नलिखित विवरणानुसार निर्धारित कॉलम में अंकन कर संबंधित दस्तावेज की स्वहस्तक्षरित प्रति निविदा प्रपत्र बोली दस्तावेजों के साथ लगाना होगाः–

क्र. स.	विभाग/संस्थान का नाम	उपलब्ध कराये गये सूरक्षा गॉर्ड का आदेश विवरण एवं संख्या	संबंधित विभाग/संस्थान से जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र का अंकन
1			

8. मै/हम सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर द्वारा जारी की गई निविदा–बोली आमंत्रण सूचना संख्या .....में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त निविदा बोली आमंत्रण सूचना के अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है।
9. संवेदक/बोलीदाता द्वारा निविदा बोली के दस्तावेजों को बोलीदाता के संबंधित प्रमाण पत्र एवं कागजात निविदा प्रपत्र के साथ सील बन्द कर प्रस्तुत करना है।
10. बोली में क्वालीफाईड/सफल बोलीदाता/संवेदक की ही निविदा मान्य होगी।

बोलीदाता के
हस्ताक्षर
नाम मय सील

कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग,उदयपुर

—::सुरक्षा गॉर्ड हेतु निविदा की शर्तें::—

1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे।
2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
3. राजस्थान असंगठित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक/बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि स्कैन कर पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
4. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
5. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित/बोलीदाता का होगा।
6. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर संवेदक/बोलीदाता को बकी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
7. संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि से संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
8. संवेदक/बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display board लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम संविदा अवधि, कार्य की प्रगति श्रमिकों हेतु helping नम्बर एवं संवेदक/बोलीदाता द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
9. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
10. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की ही होगी। संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिर्वाय रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
11. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति के उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।

12. यदि संवेदक/बोलीदाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी। इसके लिये निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान के समक्ष प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
13. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
14. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहित दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
15. यदि संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक/बोलीदाता को क्माइंत कराने की कार्यवाही की जायेगी।
16. यदि इस कार्यालय द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत कराता है, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को दिया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
17. सुरक्षागार्ड प्रशिक्षित कार्मिक की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गारंटी नहीं दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी या उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नहीं होगा। सूरक्षा गॉर्ड(बिना शस्त्र) कार्मिक की संख्या वृद्धि होने पर अनुबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर सूरक्षा गॉर्ड उपलब्ध करवाना होगा।
18. निविदा बोली में सफल बोलीदाताओं/संवेदकों से, दर संविदाओं के अन्तिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति के क्रम में अति महत्वपूर्ण प्रकृति/अपेक्षित संख्या में सुरक्षागार्ड उपलब्ध करवाना न्यूनतम बोलीदाता की क्षमता से परे होने पर, समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।
19. अनुबंधित बोलीदाता/संवेदक द्वारा दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर सुरक्षागार्ड उपलब्ध कराने के लिए उनकी कीमत कोटकर्ता करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन सुरक्षागार्ड, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तद्नुसार संशोधित की जायेगी।
20. इस कार्यालय द्वारा विद्यमान दर संविदाएं उसी कीमत, निबंधनों और शर्तों पर नियमानुसार आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी, यदि दर संविदा के अधीन गॉर्ड (बिना शस्त्र) उपाप्त किये जाने या उसके धअकों की बाजार कीमते इस कालावधि के दौरान गिर न गयी हो।
21. बोली की विधि मान्यता निविदा बोली विड खुलाने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
22. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।
23. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाऐगी वह 07 दिवस में सूरक्षा गार्ड (बिना शस्त्र) लेने जैसे ओशित किया जाये उपलब्ध करवायेगा।
24. मूल्यांकन की कसौटी–तकनीकी–वाणिज्यिक बोली में सफल/क्वालिफाइड बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली का मूल्यांकन किया जावेगा।
25. बोलियों का अपवर्जन :– अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
26. अमानत राशि "सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर" के नाम पर डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैंक के रूप में जमा करायी जावेगी।

(क)जब बोलीदाता बोली खुलने के वाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसके रूपान्तरण (Modification) करता है।
(ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।
(ग)जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
(घ)जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक सप्लाई प्रारम्भ नहीं करता।
(ड.)यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय–6 विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपवंध को भंग करता है।

27. करार एवं कार्य सम्पादन (Agreement and Performance Security) :–
(अ)कार्यादेश जारी होने पर इस कार्यालय के साथ 500/–के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।

28. कार्य सम्पादन अमानत राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Security Deposit) :–
कार्य का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगाः–
(क)जब संविदा की शर्तों का उल्लघंन किया गया हो।
(ख)जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
(ग)जब बोलीदाताओं सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाऐगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

29. भुगतानः–
(प) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जाऐगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

30. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages):– परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाऐगी जिनकी बोलीदाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा हैः–
(क)विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए – 2.5 प्रतिशत
(ख)विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक – 5 प्रतिशत
किन्तु विहित अवधि की आधी अवधी से अनधिक के लिए
(ग)विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु –7.5 प्रतिशत
विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए –
(घ)विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए–10 प्रतिशत
(ड.)विहित की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा।
(च)परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
(छ)यदि बोलीदाता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिए आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
(ज)यदि सेवा की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

31. सूरक्षा गार्ड (बिना शस्त्र) हेतु दरे कार्यादेश दिनांक से 31.03.2025 तक की अवधि हेतु आमंत्रित की जा रही है। यह अवधि आपसी सहमति से नियमानुसार बढायी जा सकेगी।

32. बोली के निर्वचन के संबंध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो निम्नलिखित से सम्पर्क किया जा सकता हैः–

33. इस कार्यालय के अधीन मंदिरान् में सूरक्षा व्यवस्था संवन्धित कार्य गार्ड द्वारा किया जाना होगा।

34. विना कारण वतायें किसी भी स्तर पर निविदा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

35. सील वन्द लिफाफे के वायी ओर उपर की तरफ **''सुरक्षा गॉर्ड हेतु निविदा''** लिखा जावें।

36. बिल निर्धारित प्रारूप में प्रतिमाह प्रस्तुत करना होगा।
37. निविदादाता के बैंक खाता पासबुक व पेन कार्ड व आधार कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी।
38. निविदादाता द्वारा दी गई दरे कार्यादेश दिनांक से 31.03.2025 तक मान्य होगी जिसे नियमानुसार आपसी सहमती से बढाया भी जा सकता हैं।
39. उक्त निविदा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 सा.वि.एवं लेखा नियम तथा राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों/दिशा निर्देशो के अधीन रहेगी तथा निविदादाताओं को इनकी सभी शर्तों को मानना बाध्यकारी होगा।
40. सफल निविदादाता को गार्ड उपब्ध करवाये जाने हेतु प्रथक से कार्यादेश दिया जावेगा कार्यादेश अनुसार मंदिरान् में गॉर्ड उपलब्ध करवोने होगें।
41. संवेदक अनुबंध अवधि के दौरान यदि बीच में कार्य छोड कर चला जाता है अथवा निर्धारित अवधि तक अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य नहीं करता है तो ऐसी दशा में निम्न हस्ताक्षरकर्ता को उसकी रिस्क एवं कोस्ट पर मंदिर में सूरक्षा व्यवस्था हेतु अन्य वैकल्पिक व्यवस्था का अधिकार होगा।
42. स्वीकृत ठेके या उसके दौरान संवेदक को मंदिरान् में कार्य के दौरान अपने सभी श्रमिकों को आवश्यक पहचान पत्र एक सी युनिफार्म उपलब्ध करवानी होगी इस संबंध में संवेदक को ठेका प्रारम्भ होने से पूर्व सूचना देनी होगी। उसके पश्चात् उपस्थित होने हेतु प्रवेश दिया जा सकेगा।
43. किसी भी कर्मि द्वारा मादक पदार्थ का सेवन नहीं किया जायेगा एवं अभद्रता दुर्व्यवहार एवं किसी प्रकार की ईनामी राशि की मांग अपराध की श्रेणी में आयेगी तथा शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्ति को तुरन्त हटाना होगा अन्यथा संवेदक के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।
44. अनुबंध अवधि के दौरान कार्यरत श्रमिकों का पुलिस द्वारा सत्यापन करवाना होगा तथा अपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों को कार्य पर नहीं रखा जायेगा।
45. कार्य अवधि के दौरान मंदिरान् का कोई सामान चोरी होता है तो उसका उत्तरदायित्व संवेदक/संवेदक द्वारा उपलब्ध कार्मिक का होगा।
46. संवेदक को सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर , निरीक्षक देवस्थान विभाग उदयपुर व मुन्तजिम के निर्देशों की पूर्णतः पालना करनी होगी।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग उदयपुर

बिडदाता के हस्ताक्षर
मय सील